

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरु)

"राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09.09.2023"

भंवरलाल बनाम राज. सरकार

न.मु.- 23/2023 जीरीएमएस संख्या- 2023/40

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

तारीख  
हुक्म

हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज

नम्बर व  
तारीख जो  
अहकाम जो  
इस हुक्म की  
तामील में  
जारी हुए

09.9.2023

यह प्रार्थना-पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री भंवरलाल शर्मा चोटिया पुत्र स्व. जयदेवाराम उर्फ जयदेव शर्मा चोटिया जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरु ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम मलसीसर की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 130 में भंवरलाल पुत्र जयदेवाराम जाति ब्राह्मण निवासी मलसीसर खातेदार दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार भंवरलाल पुत्र जयदेव शर्मा है। प्रार्थी का नाम भंवरलाल पुत्र जयदेव शर्मा किये जाने का आदेश फरमावे।


प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रोही मलसीसर की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 130 में भंवरलाल पुत्र जयदेवाराम जाति ब्राह्मण निवासी मलसीसर खातेदार दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम भंवरलाल पुत्र जयदेव शर्मा है जो शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना-पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 130 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	मलसीसर	130 (नया)	भंवरलाल पुत्र जयदेवाराम जाति ब्राह्मण निवासी मलसीसर खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा सुजानगढ़	भंवरलाल पुत्र जयदेव शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मलसीसर खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा सुजानगढ़


राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्त जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2023 को लिखाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

  
महदस्य

लोक अदालत

पैनल अधिकारी (महदस्य)  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

  
महदस्य  
न्यायिक अधिकारी  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

  
उपखण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़  
रेवन्यू अधिकारी (महदस्य)  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

